

BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

592

GWALIOR

PBR/नगरानी/उज्जैन/भू-र/2017/1874

Case No. /2017 Revision

श्री. श्री. राज-देव-सिंग Petitioner
द्वारा आज दि. 23-6-17 को
प्रस्तुत

राज-देव-सिंग
क्लर्क ऑफ कोर्ट 23-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Rasayan
श्री. राज-देव-सिंग
23-6-17

1. Commissioner, M.P, Housing and Infrastructure Development Board, Head Office Prayawas Bhawan, Jail Road, Bhopal (M.P)
2. Dy. Housing Commissioner, MP Housing and Infrastructure Development Board, Circle Ujjain (M.P)
3. Executive Engineer, MP Housing and Infrastructure Development Board, Division Ujjain (MP)

Vs

Respondent

Pramod Kumar Jain; S/o- Late Shri Hukum Chandra jain, Age- Adult, R/o- Village Makodia Aam Distrist Ujjain

REVISION UNDER SECTION 50 OF MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE 1959 AGAINST THE DEMARCATION MADE BY THE REVENUE AUTHORITY


The humble applicant most respectfully submits his revision application as under:-

1. That, the facts of the case are that the applicant who is a government undertaken board which was constituted for providing the house and developed plots to public.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/1874

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.12.18 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	